



# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन -456006 (म.प्र.)

## Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)  
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.4-1/2026/परीक्षा/मसारावेविप्र 2017

दिनांक : 02 जून, 2026

अधिसूचना -

**महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानरहित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों से आवेदन आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।**

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार प्रतिष्ठान से अनुदानरहित वेद विद्यालयों / वेद पाठशालाओं / शिक्षण संस्थाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत (अ) वेदभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-6ठी) से वेदभूषण पंचम वर्ष (कक्षा-10वीं) तक, (ब) वेदविभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-11वीं) एवं (स) वेदविभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-12वीं) के विद्यार्थियों की परीक्षा मान्यता हेतु वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों की सम्बद्धता अनिवार्य है।

2. इस संबंध में महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रथम बैठक में निर्णय लिया कि प्रतिष्ठान से अनुदानरहित वेद विद्यालयों / वेद पाठशालाओं / शिक्षण संस्थाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत (अ) वेदभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-6ठी) से वेदभूषण चतुर्थ वर्ष (कक्षा-9वीं) एवं (ब) वेदविभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा-11वीं) के विद्यार्थियों की परीक्षा मान्यता हेतु वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को सम्बद्धता प्रतिष्ठान द्वारा तथा (स) वेदभूषण पंचम वर्ष (कक्षा-10वीं) एवं (द) वेदविभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-12वीं) के विद्यार्थियों की परीक्षा मान्यता हेतु सम्बद्धता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. प्रतिष्ठान से अनुदानरहित किन्तु किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित वेद विद्यालय/वेद पाठशालाएं भी महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन से वार्षिक सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4. अनुदानरहित वेद विद्यालयों / वेद पाठशालाओं / शिक्षण संस्थाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों का केवल महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता होनी चाहिये, किसी अन्य बोर्ड से सम्बद्धता होने पर महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन से सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी। छात्र केवल महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन अथवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। इस आशय का संलग्न प्रपत्र 'A' अनुसार एक शपथ पत्र (Affidavit) अनुदानरहित वेद विद्यालयों / वेद पाठशालाओं / शिक्षण संस्थाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को आवेदन पत्र के साथ प्रतिष्ठान को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।

5. सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतिष्ठान की वेबसाइट ([www.msrvvp.ac.in](http://www.msrvvp.ac.in)) पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 08 जून, 2026 है।

6. प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानरहित वेद पाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को प्रतिष्ठान एवं बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए उस पर लागू निम्नलिखित स्लैब के अनुसार वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा:-

क्र. सं.	वेद पाठशाला / संस्था / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई	छात्र संख्या	वार्षिक सम्बद्धता शुल्क	18% जी.एस.टी. (GST)	कुल भुगतान योग्य राशि [अप्रतिदेय (Non-refundable)]
1	अनुदानरहित वेद पाठशाला / संस्था	01 से 20 तक	रु. 5000/-	रु. 900/-	रु. 5,900/-
		21 से 50 तक	रु. 10,000/-	रु. 1,800/-	रु. 11,800/-
		51 से अधिक	रु. 15,000/-	रु. 2,700/-	रु. 17,700/-
2	अनुदानरहित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई	अधिकतम 10	रु. 3,000/-	रु. 540/-	रु. 3,540/-

7. यह विशेष ध्यान रहे कि केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंतर्निर्मित 'Payment Gateway' के माध्यम से ही बोर्ड के खाते में जमा की गई 'कुल भुगतान योग्य राशि' मान्य होगी। अन्य किसी भी माध्यम से बोर्ड के खाते में जमा की गई राशि सम्बद्धता के आवेदन हेतु मान्य नहीं होगी तथा वह अप्रतिदेय (Non-refundable) एवं गैर-समायोज्य (Non-adjustable) रहेगी। साथ ही, बोर्ड के खाते में जमा की गई कोई भी राशि अप्रतिदेय (Non-refundable) एवं गैर-समायोज्य (Non-adjustable) रहेगी।

8. यह अधिसूचना केवल वार्षिक सम्बद्धता हेतु जारी की गई है। विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पृथक से आमंत्रित किए जाएंगे।

बोर्ड के आदेश से जारी,

(प्रो. विरुपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

- प्रतिलिपि: (1) सहायक निदेशक (परीक्षा) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।  
(2) लेखा विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।  
(3) समस्त वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को सूचनार्थ।  
(4) प्रतिष्ठान एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।  
(5) रक्षित पत्रावली।

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255

E-mail : [msrvvpunj@gmail.com](mailto:msrvvpunj@gmail.com), website : [www.msrvvp.ac.in](http://www.msrvvp.ac.in)